



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245346
CG-DL-E-22042023-245346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1751]

No. 1751]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

का.आ. 1833(अ).— सेवाएं या फायदे या सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी प्रदायी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और यह एक व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को कम करके फायदाग्राहियों को उनकी पात्रता सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), बीज कपास का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) स्तर से नीचे जाने पर, किसानों से उपापित कपास हेतु, समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित, एमएसपी प्रदान करने के प्रयोजन से भारतीय कपास निगम लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) द्वारा बीज कपास के उपापन को प्रशासित कर रहा है, जिसे भारतीय कपास निगम लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है;

और, इस स्कीम के अधीन, किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) को, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किसानों से उपापित किए गए कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) स्कीम और इसके अधीन जारी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाता है;

और, इस स्कीम के अधीन उक्त फायदा प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय भारत की समेकित निधि से किया जाएगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायक्रियों, फायदों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (क) स्कीम के अधीन फायदा लेने के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए:

(ख) स्कीम के अधीन लाभ लेने के लिए इच्छुक प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो आधार संख्या नहीं रखता है अथवा जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, वह स्कीम के लिए रजिस्ट्री करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करे, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता है;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, अभी तक आधार हेतु नामांकित नहीं हुए लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं हो तो, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

परंतु किसी व्यक्ति को आधार प्रदान किए जाने तक, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त पर ही उस व्यक्ति को स्कीम के अधीन लाभ दिए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) यदि वह नामांकित हो गया हो, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मतदाता पहचान पत्र; या

(v) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी चालक अनुज्ञप्ति; या

(vi) आधिकारिक लैटर हेड पर किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोसहित पहचान प्रमाणपत्र; या

(vii) मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु साथ ही यह कि इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आसानी से फायदा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से असफल हो जाता है वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा; अर्थात्:-

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, और मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, आईरिस स्कैनर्स या

चेहरा अधिप्रमाणन के साथ फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगी जिससे निर्बाध गति से फायदा प्रदान किए जा सकें;

(ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल न होने की दशा में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, वहां, यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा, अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) के माध्यम से की जा सकती है और मंत्रालय द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध करायी जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही अपने देय लाभों से वंचित नहीं हो, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtbharat.gov.in/> में उपलब्ध) में यथानिर्दिष्ट अपवाद संचालन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[सं. 8/1/2020-फाइबर-1]

प्राजक्ता वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2023

S.O. 1833(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India, is administering the procurement of seed cotton by Cotton Corporation of India Limited (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective to provide Minimum Support Price (MSP) whenever seed cotton price falls below the MSP level, as declared by the Government from time to time, for the cotton procured from the farmers, which is being implemented through the Cotton Corporation of India Limited (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the Minimum Support Price for the cotton procured from the farmers (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, to provide the aforesaid benefit under the Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: –

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall apply for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar itself:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: –

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely: –
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Voter Identity Card; or
 - (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (vi) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (vii) any other document as may be specified by the Ministry:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: –

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available at <https://dbtbharat.gov.in/>).

5. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[No 8/1/2020-Fibre-1]

PRAJAKTA VERMA, Jt. Secy.